भाग–III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 दिसम्बर, 2025

संख्या का०आ० 86/पं०अ० 18/1961/धा० 15/2025.– हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 18) की धारा 15 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 में, उप–नियम (1) में, –

(i) खण्ड (क) में, "100" अंक के स्थान पर, "250" अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) खण्ड (ग) में,–

(क) अंत में विद्यमान "I" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यदि पंचायत समिति या जिला परिषद् दो मास के भीतर योजना से सहमत नहीं हैं या इसका अनुमोदन नहीं करती, तो ग्राम पंचायत, यदि व्यथित है, तो राज्य सरकार के समक्ष उचित निर्णय हेतु आवेदन कर सकती है। राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 6 में,–

(i) उप–नियम (2) में, चतुर्थ परन्तुक में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(ग) खेती हेतु पट्टे पर दिए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि में से अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् किसी युद्ध में मारे गए सैन्य कार्मिक के आश्रितों तथा साठ प्रतिशत या अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को क्रमशः तीस प्रतिशत, दस प्रतिशत, दस प्रतिशत तथा पाँच प्रतिशत नीलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिए आरक्षित की जाएगी। **साठ प्रतिशत या अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति, जो उसी गांव के निवासी हैं, पट्टा नीलामी के लिए पात्र होंगे।**";

(ii) उप–नियम (2क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(2अ)(क) पंचायत, नियम 3 के उपबंधों के अनुसार भूमि उपयोग योजना तैयार करने के बाद और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बाद–

(i) गौशाला, बायोगैस संयंत्र, पशु चिकित्सा अस्पताल, अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, पंचगव्य उत्पाद की स्थापना और चारे की खेती के प्रयोजन हेतु ऐसे धर्मार्थ संगठन जिसका समाज के लिए परोपकारी योगदान का इतिहास है और जिसके पूर्ववृत्त को सत्यापित किया गया है और जिसे खंड (ख) के अधीन गठित की जाने वाली समिति तथा हरियाणा गौ सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित किया गया है, को अपनी भूमि आबंटन द्वारा अधिकतम बीस वर्ष की अवधि के लिए;

(ii) पशु पालन तथा डेयरी विकास विभाग या हरियाणा गौ–सेवा आयोग को गौ–अभ्यारण स्थापित करने के प्रयोजन के लिए;

भूमि पट्टे पर दे सकती है।

(ख) (i) भूमि पट्टे के लिए आवेदन संबंधित उपायुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा, जो उसे संबंधित ग्राम पंचायत को उसके विचारार्थ भेज सकता है।

(ii) पंचायत तथा ग्राम सभा इस बारे प्रस्ताव पास कर सकती है। पंचायत अपना प्रस्ताव संबंधित खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी के माध्यम से उपायुक्त को अग्रेषित करेगी।

(iii) पंचायत के प्रस्ताव की संवीक्षा, संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में अतिरिक्त उपायुक्त, जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी और उप निदेशक पशुपालन तथा डेयरी विकास विभाग से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा की जाएगी और हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा कर सकती है।

(ग) गौशाला के लिए भूमि का पट्टा, पंचायत तथा खण्ड (ख) के अधीन उल्लिखित समिति द्वारा प्रस्तावित तथा अनुशंसित शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात् :–

(i) गौशाला द्वारा चारे की खेती के लिए प्रति एक सौ पशुओं के लिए केवल 1.5 एकड़ तक ही भूमि दी जा सकती है। तथापि, इसके अतिरिक्त, गौशाला की स्थापना के प्रयोजन के लिए प्रति एक सौ पशुओं के लिए केवल 0.75 एकड़ तक भूमि भी दी जा सकती है। पशुओं की संख्या कम या अधिक होने की दशा में, पशुओं की संख्या के समानुपात में भूमि दी जाएगी। पशुओं की संख्या की गणना द्विवार्षिक रूप से की जाएगी तथा पशुओं की संख्या में कमी पाए जाने की दशा में, पंचायत को पशुओं की घटी हुई संख्या के समानुपात में भूमि का क्षेत्रफल वापस लेने का अधिकार होगा और वह ऐसी भूमि वापिस लेगी;

(ii) उपरोक्त उप–खंड (i) में उल्लिखित भूमि के अतिरिक्त, बायोगौस संयंत्र, पंचगव्य उत्पाद, पशु चिकित्सा अस्पताल और अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के प्रयोजन हेतु 1500 या उससे अधिक पशुओं वाली गौशाला को दो एकड़ तक भूमि दी जा सकती है;

(iii) गौशाला द्वारा चारे की खेती के प्रयोजन के लिए, केवल ऐसी भूमि, जो किसी ग्राम में चरान्द के लिए चिह्नित भूमि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, पट्टे पर दी जाएगी;

(iv) पट्टेदार को पट्टे की अवधि के दौरान हर समय गौशाला में कुल पशु आबादी के कम से कम पचास प्रतिशत आवारा पशुओं को रखना और उनका अनुरक्षण करना होगा;

(v) पट्टा राशि 5100/– रूपए (केवल पांच हजार एक सौ रूपए) प्रति एकड़ प्रति वर्ष से कम नहीं होगी। वार्षिक पट्टा राशि का अग्रिम भुगतान किया जाएगा;

(vi) पट्टेदार को भूमि को उप–पट्टे पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा;

(vii) पट्टेदार को खण्ड (ख) में उल्लिखित समिति के समक्ष वार्षिक रूप से अपनी कुल आय और व्यय के संबंध में लेखापरीक्षित खातों का विवरण, संबंधित पंचायत और खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी को एक प्रति सहित प्रस्तुत करना होगा;

(viii) संबंधित सरपंच तथा खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी, गौशाला की प्रबंधन समिति या ऐसी गौशाला के मामलों की देख–रेख के लिए बनाई गई किसी समिति के पदेन सदस्य होंगे। ये पट्टे के निबंधनों और शर्तों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करेंगे;

(ix) कोई अन्य निबंधन और शर्तें, जो समिति द्वारा अनुशंसित और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएं।

(घ) गौ–अभ्यारण के प्रयोजन के लिए भूमि का पट्टा, पंचायत द्वारा प्रस्तावित तथा अनुशंसित शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात्:–

(i) अधिकतम पट्टा अवधि बीस वर्ष होगी, जो और दस वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

(ii) पट्टा राशि 5100/– रूपए (केवल पांच हजार एक सौ रूपए) प्रति एकड़ प्रति वर्ष होगी। वार्षिक पट्टा राशि का अग्रिम भुगतान किया जाएगा।

(iii) गौ–अभ्यारण के प्रयोजन के लिए भूमि पट्टे पर देना प्रस्तावित करते हुए, शामलात देह की कुल भूमि के कम से कम पच्चीस प्रतिशत या पचास एकड़, जो भी अधिक हो, ग्राम पंचायत द्वारा गांव के सामूहिक प्रयोजनों हेतु रखी जाएगी।

(iv) गौ–अभ्यारण द्वारा चारे की खेती के प्रयोजन के लिए, केवल ऐसी भूमि जो किसी ग्राम/ग्रामों के समूह में चरान्द के लिए चिह्नित भूमि के पचास प्रतिशत तक ही पट्टे पर दी जाएगी।

(v) भूमि का उपयोग गौ–अभ्यारण के लिए किया जाएगा तथा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। तथापि, हरियाणा गौ–सेवा आयोग/पशु पालन तथा डेयरी विकास विभाग द्वारा अवधारित की जाने वाली किसी एजेंसी द्वारा गौ अभ्यारणय में गौ–अभ्यारण को चलाने के लिए आवश्यक आनुषंगिक सुविधाएं सृजित की जा सकती हैं।

(vi) पट्टेदार, पट्टा अवधि प्रारम्भ होने की तिथि से एक वर्ष, जो और छह मास के लिए बढ़ाई जा सकती है, के भीतर पट्टा भूमि को अनुगत उपयोग में लाएगा।

(vii) प्रस्तावित भूमि पर खड़े पेड़ ग्राम पंचायत में निहित रहेंगे और ग्राम पंचायत द्वारा विधि के उपबंधों के अनुसार इनका निपटान किया जाएगा।

(viii) पट्टेदार गौ–अभ्यारण में रखे गए पशुओं के स्वास्थ्य/कल्याण के लिए उत्तरदायी होगा। ग्राम पंचायत, गौ–अभ्यारण में किसी भी प्रकार की अनहोनी/बीमारी फैलने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

(ix) ग्राम पंचायत असमतल स्थल को समतल करने के लिए जिम्मेवार नहीं होगी।

(x) पट्टेदार को गौ–अभ्यारण की स्थापना के लिए पट्टे पर दी गई भूमि को उप–पट्टे पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा। तथापि, पट्टेदार गौ–अभ्यारण के प्रबंधन के लिए किसी धर्मार्थ संस्था/संगठन को किराये पर ले सकता है।

(xi) संबंधित सरपंच और खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी गौ–अभ्यारण की प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य होंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पट्टे की निबंधन और शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है।

(ङ) उपरोक्त खण्ड (ग) अथवा (घ), जैसे भी स्थिति हो, में यथा उल्लिखित किसी भी शर्त तथा पट्टा विलेख की अन्य निबंधन तथा शर्तों के उल्लंघन की दशा में, भूमि का पट्टा **सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा** निरस्त कर दिया जाएगा तथा भूमि का कब्जा पंचायत को वापस कर दिया जाएगा।"।

डा० साकेत कुमार,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 16th December, 2025

No. S.O. 86/P.A.18/1961/S.15/2025.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (2) of section 15 of the Haryana Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 (Punjab Act 18 of 1961), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964, in their application to the State of Haryana, namely:-

1. These rules may be called the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Rules, 2025.

2. In the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964 (hereinafter called the said rules), in rule 3, in sub-rule (1), -

(i) in clause (a), for the figure "100", the figure "250" shall be substituted;

(ii) in clause (c),-

(a) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(b) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that in case the Panchayat Samiti or the Zila Parishad does not agree or approve the plan within two months, the Gram Panchayat, if aggrieved, may make an application before the State Government for appropriate decision. The decision of the State Government shall be final.".

3. In the said rules, in rule 6,-

(i) In sub-rule (2), in the fourth proviso, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) out of land proposed to be leased for cultivation, thirty per cent, ten per cent, ten per cent and five per cent, respectively, shall be reserved for giving on lease by auction, to the members of the Scheduled Castes, Backward Classes, Dependents of Defence personnel killed in any war after the independence of India and persons with sixty percent or more disability. **The persons with sixty percent or more disability who are residents of the same village shall be eligible for lease auction**.";

(ii) for sub-rule (2A), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(2A) (a) The Panchayat may, after preparing land utilization plan as per the provisions of rule 3 and after prior approval of State Government, lease out its land-

(i) for the purposes of establishing gaushala, biogas plant, veterinary hospital, research and training centre, panchgavya products and cultivation of fodder through allotment for a maximum period of twenty years to such charitable organization which has a history of philanthropic contribution to society and whose antecedents have been verified and which is recommended by the committee to be constituted under clause (b) and the Haryana Gau Sewa Aayog;

(ii) for the purpose of establishing Gau-Abhyaran to the Department of Animal Husbandry and Dairy Development or Haryana Gau Sewa Aayog.

(b) (i) The application for lease of land shall be submitted to the Deputy Commissioner concerned, who may send the same to the Panchayat concerned for its consideration.

(ii) the Panchayat and Gram Sabha may pass resolutions in this regard. The Panchayat shall forward its proposal to the Deputy Commissioner through Block Development and Panchayats Officer concerned.

(iii) the proposal of the Panchayat shall be scrutinized by a committee comprising Additional Deputy Commissioner, President of Zila Parishad, District Development and Panchayats Officer, District Revenue Officer and Deputy Director of Animal Husbandry and Dairy Development

Department under the chairmanship of the Deputy Commissioner concerned and may make its recommendation to the State Government through Haryana Gau Sewa Aayog.

(c) The lease of the land for Gaushala shall be subject to the following terms and conditions, besides the conditions proposed and recommended by the Panchayat and the committee mentioned under clause (b), namely:-

(i) for cultivation of fodder by the gaushala, only upto 1.5 acres of land for every one hundred animals may be given. However, in addition, for the purpose of establishment of gaushala, only upto 0.75 acre of land for every one hundred animals may also be given. In case of lesser or higher number of animals, the land shall be given in proportion of the number of animals. The number of animals shall be counted bi-annually and in case of any decrease is found in the number of animals, the Panchayat shall have the right to claim back the area of land in proportion to the decreased number of animals thereof and it shall take back such land;

(ii) for the purpose of setting up biogas plant, panchgavya products, veterinary hospital and research and training centre, upto two acres of land may be given in addition to land mentioned in sub-clause (i) above to a gaushala having 1500 or more animals;

(iii) for the purpose of cultivation of fodder by gaushala, only the land which shall not be more than twenty-five percent of the land earmarked for charand in a village shall be leased out;

(iv) the lessee shall have to house and maintain atleast fifty percent stray cattle of the total cattle population in the gaushala at all points of time during the lease period;

(v) the lease money shall not be less than Rs. 5100/- (five thousand and one hundred rupees only) per acre per year. The annual lease money shall be paid in advance;

(vi) the lessee shall have no right to sub-lease the land;

(vii) the lessee shall have to submit audited accounts statement in respect of its total income and expenditure annually before the committee mentioned in clause (b) with a copy to the Panchayat and Block Development and Panchayats Officer concerned;

(viii) Sarpanch and the Block Development and Panchayats Officer concerned shall be ex-officio members of the managing committee of the gaushala or any committee formed to look after the affairs of gaushala. They shall ensure that the terms and conditions of the lease are fully complied with;

(ix) any other terms and conditions, as may be recommended by the committee and approved by the State Government.

(d) The lease of the land for the purpose of Gau Abhyaran shall be subject to the following conditions, besides the conditions proposed and recommended by the Panchayat, namely: -

(i) the maximum lease period shall be twenty years extendable for further ten years;

(ii) the lease money shall be Rs.5100/- (five thousand and one hundred rupees only) per acre per year. The annual lease money shall be paid in advance;

(iii) for other common purposes of the village, atleast twenty-five per cent of the total land in shamilat deh or fifty acres land, whichever is more, shall be retained by the Gram Panchayat while proposing for leasing out the land for the purpose of Gau-Abhyaran;

(iv) for the purpose of cultivation of fodder by Gau Abhyaran, only the land upto fifty per cent of the land earmarked for charand in a village / group of villages shall be leased out;

(v) the land shall be used for Gau-Abhyaran and shall not be used for any other purpose, however any ancillary facility necessary for running Gau-Abhyaran may be created inside the Gau Abhyaran by any agency to be determined by Haryana Gau Sewa Aayog / department of Animal Husbandry and Dairy Development;

(vi) the lessee shall put the leased land to the permitted use within one year, extendable by another six months, from the date of commencement of the lease period;

(vii) the trees standing on the proposed land shall continue to vest in the Gram Panchayat and shall be disposed of by the Gram Panchayat in accordance with the provisions of law;

(viii) the lessee shall be responsible for the health / well-being of the animals kept in the Gau-Abhyaran. The Gram Panchayat shall not be responsible for any kind of mishappening in the Gau-Abhyaran / outbreak of disease;

(ix) the Gram Panchayat shall not be responsible for leveling the uneven site;

(x) the lessee shall have no right to sub-lease the land given on lease for establishment of Gau-Abhyaran. However, the lessee may hire a charitable institution/organization for management of Gau-Abhyaran;

(xi) the Sarpanch and the Block Development and Panchayats Officer concerned shall be ex-officio members of the managing committee of the Gau-Abhyaran to ensure that the terms and conditions of the lease are fully complied with.

(e) In case of violation of any condition as mentioned in clause (c) or (d), as the case may be, and other terms and conditions of the lease deed, the lease of the land shall be cancelled **by the Deputy Commissioner concerned** and the possession of the land shall revert back to the Panchayat.

DR. SAKET KUMAR,
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department.

12274—L.R.—H.G.P., Pkl.